



## इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 88/प्र0अ0-म0न/जोन-1/2012-13 दिनांक 19/4/2014

### अनुमति-पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के उपरान्त में जिस पर व्यवसायिक (फुटकर दुकानों) का मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय विकास या इलाका स्थानीय अधिकारी या कानून अथवा फर्न के गालिबाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती नसीमा रजी पत्नी स्व0 रज़ी अब्दीन स्वरु पार्ट आफ सड़क नं0-57/1/2 सिविल स्टेशन, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत व्यवसायिक (फुटकर दुकानों) के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र की स्वीकृति उपर्युक्त महोदय के अनुनोपनादेश दिनांक 31.11.2013 के द्वारा निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्रावधानों के अनुकूल पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्भोग/अधिसभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
4. स्थल पर 07 अक्षर बूझ लगाने होंगे तथा बूझों को हरा-गारा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
5. स्थल का अधिसभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार आवासीय हो करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र निरस्त सम्भन जायेगा।
6. शेवाटर हावीस्टिन का काले नागक के अनुसार पूर्ण कराकर भू गभ जल बोर्ड से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
7. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद की अनापति पत्र संख्या- 2013/6010/100/रि-0ला10/0084 दिनांक 07.08.2013, पुलिस अधीक्षक-यातायात, इलाहाबाद की अनापति पत्र संख्या आर/पर.पी.टी./सी 15(10)/2013 चैठ 28.08.2013, नगर आयुक्त, नगर निगम इलाहाबाद की अनापति पत्र संख्या 567/GTCE/13 दिनांक 20.09.2013 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (जयाप्रति संलग्न)
8. स्थल पर निर्मित पुराने बूझों को हटाने/समाप्त करना की जिम्मेदारी आवेदिका की होगी।
9. बेसमेन्ट के निर्माण बनल की संपत्ति की सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए सड़क/इन्जीनियर की देख-रेख में करना होगा।
10. भवन पूर्ण होने पर विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र एवं लिफ्ट पर वीफ इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर की अनापति आवश्यक होगी।
11. रोड वाइडनिंग एरिया में कोई भी अस्थायी/स्थायी निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
12. पार्किंग स्थल का उपयोग पार्किंग प्रयोजन ही किया जाना बध्यकारी होगा।

Continued

Kam  
19/04/2014

045634798

